

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)  
**आदेश**


निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार पटना के ज्ञापांक 161 दिनांक 06.02.2018 के आलोक में कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 (द्वितीय किस्त) के लिये सरकार से सामान्य घटक के अधीन मो0-3000000/- (तीस लाख) रूपये एवं विशेष घटक के तहत मो0-2000000/- (बीस लाख) रूपये RTGS से प्राप्त हुआ है, उक्त प्राप्त राशि को निम्नतालिका के अनुरूप सभी प्रखंडों, नगर निगम, मुंगेर नगर परिषद्, जमालपुर एवं नगर पंचायत खड़गपुर को राशि अन्तरित की जाती है।

क्र0	प्रखण्ड एवं नगर निकाय का नाम	सामान्य घटक में उपलब्ध राशि	विशेष घटक में उपलब्ध राशि	कुल उपलब्ध राशि
1	2	3	4	5
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर	186000	123000	309000
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	135000	96000	231000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	150000	105000	255000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धरहरा	186000	126000	312000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर	270000	180000	450000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर	81000	63000	144000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	168000	117000	285000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	132000	96000	228000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज	81000	63000	144000
10	नगर आयुक्त, मुंगेर	729000	465000	1194000
11	कार्यपालक पदा0 नगर परिषद्, जमालपुर	615000	384000	999000
12	कार्यपालक पदा0 नगर पंचायत, खड़गपुर	267000	180000	447000
13	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।	-	2000	2000
<b>कुल</b>		<b>30,00,000</b>	<b>20,00,000</b>	<b>50,00,000</b>

- बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की स्वभाविक या आकस्मिक रूप से मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न कराने के निमित्त 3000.00 (तीन हजार) रूपये नगद भुगतान का प्रावधान है।
- उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 161 दिनांक 06.02.2018 के आलोक में किया जाय। पत्र की प्रति संलग्न। पत्र में उल्लेखित दिशा निर्देश का पालन किया जाय।
- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अन्तर्गत पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि तथा वर्तमान में उपलब्ध राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाय, ताकि ससमय सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा सके।

इस संबंध में आपको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपलब्ध राशि का चेक प्राप्त करने हेतु अपने नाजिर/कैशियर को नाजिर रसीद के साथ पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर में प्रतिनियुक्त करें।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

  
जिलाधिकारी,  
मुंगेर।